मिसल नम्बर 239 / 2022
निर्णय दिनांक 31-08-2022

राजस्थान सरकार

न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज.)

पीठासीन अधिकारी :- विवेक कटारिया
मिसल नम्बर :- 239 / 2022

सरकार

बनाम

हरीराम पुत्र श्री शंकर राम जाति गुर्जर निवासी बेसरड़ा तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज0।

..................गैर सायल

(अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट-1956)

दिनांक :- 31-08-2022

-: निर्णय :-

पत्रावली पेश हुई। गैर सायल को आवाज दिलवाई गई। आवाज पर गैर सायल की ओर से कोई हाजिर नही। आगे पत्रावली का अवलोकन किया तो जाहिर हुआ है कि पटवारी हल्का मेहाड़ा जाटूवास के द्वारा इस आशय की रिपोर्ट पेश की गई है कि **राजस्व ग्राम बेसरड़ा** स्थित राजकीय भूमि **खसरा नम्बर 938 रकबा 4.07 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकीन पहाड़ व गैर मुमकीन नदी के रकबा 0.10 है0** पर गैर सायल **हरीराम पुत्र श्री शंकर राम जाति गुर्जर निवासी बेसरड़ा** तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज0 ने **पुख्ता मकान बनाकर एवं बाजरे की काश्त कर** अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर लिया है। जिनके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जावे।

मुताबिक रिपोर्ट पटवारी के गैर सायल के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर अतिक्रमी के नाम सबूत एवं सुनवाई हेतु राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। न्यायालय हाजा से जारी नोटिस को गैर सायल द्वारा जान बुजकर लेने से इन्कार किया जो कि सूचना हेतु पर्याप्त है। सूचना के बावजूद गैर सायल की ओर से कोई उपस्थित नही आया।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात् एवं पटवारी रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि गैर सायल **हरीराम पुत्र श्री शंकर राम जाति गुर्जर निवासी बेसरड़ा** तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज0 ने **राजस्व ग्राम बेसरड़ा** स्थित राजकीय भूमि **खसरा नम्बर 938 रकबा 4.07 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकीन पहाड़ व गैर मुमकीन नदी के रकबा 0.10 है0** भूमि पर **पुख्ता मकान बनाकर एवं बाजरे की काश्त कर** अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर लिया है। गैर सायल को राजकीय भूमि को अनाधिकृत रूप से अपने अधिभोग में लेने या रखने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। राजकीय भूमियां राजकीय प्रयोजनों के लिए सुरक्षित रखी गई है। अतः पटवारी हल्का मेंहाड़ा जाटूवास की रिपोर्ट स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

मिसल नम्बर 239 / 2022
निर्णय दिनांक 31–08–2022

–: आदेश :–

अतः प्रकरण में गैर सायल की अनुपस्थिति में गैर सायल के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का मेंहाड़ा जाटूवास के प्रश्नगत भूमि पर गैर सायल को अतिक्रमी घोषित किया जाकर **राजस्व ग्राम बेसरड़ा** स्थित राजकीय भूमि **खसरा नम्बर 938 रकबा 4.07 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकीन पहाड़ व गैर मुमकीन नदी के रकबा 0.10 है0** पर से **बेदखल** किया जाता है तथा गैर सायल से शरह लगान 2 रूपये का 50 गुणा = 100/- रूपये तावान कायम व वसूली का आदेश दिया जाता है। तहसील राजस्व लेखाकार से राजस्व लेखों में मांग कायमी व पटवारी हल्का मेंहाड़ा जाटूवास से तावान की वसूली करवाई जावे। **राजस्व ग्राम बेसरड़ा** स्थित राजकीय भूमि **खसरा नम्बर 938 रकबा 4.07 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकीन पहाड़ व गैर मुमकीन नदी के रकबा 0.10 है0** भूमि पर से भौतिक मौका बेदखली हेतु सम्बन्धित भू–अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का के नाम निर्णय की पालना हेतु तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 31–08–2022 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(विवेक कटारिया)
तहसीलदार खेतड़ी